संख्या-155/2024/ 390/35-4-2024/35-4099/82/2024

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 27 मार्च, 2024

विषय:- जनपद- शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद शाहजहांपुर में शासनादेश संख्या-470/2023/1136/35-4-2023, दिनांक 28-03-2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित प्रश्नगत 08 कार्यो हेतु रू0 292.58 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 146.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर, के पत्रसंख्या-1753/अ0सं0/त्व0आ0वि0यो0/2022-23 दिनांक 05.03.2024 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 28-03-2023 से स्वीकृत प्रश्नगत 08 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 292.58 लाख के सापेक्ष अद्यतन अवमुक्त की गई धनराशि रू0 146.29 लाख का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि रू० 146.29 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 146.29 लाख (रूपये एक करोड़ छियालीस लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र. स.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	विकास खण्ड तिलहर के ग्राम पंचायत चावर खास में टिसुई रोड से ठाकुर मुन्ना सिंह पूर्व प्रधान के मकान तक, होली चौराहे से खुण्डरा मेन रोड तक, रामकिशोर के मकान से मेन रोड तक और राकेश प्रजापति के मकान से सत्य प्रकाश पूर्व प्रधानके मकान तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	56.50	28.25	28.25
2	विकास खण्ड तिलहर के ग्राम कमलापुर पोस्ट खैरपुर में दिउरिया सम्पर्क मार्ग से नाई लालाराम के मकान तक, मन्दिर से हिरओम के मकान तक हरीश गंगवार के मकान से सुग्रीव के मकान तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	33.41	16.70	16.71
3	विकास खण्ड तिलहर ग्रा0 पं0 लालपुर बड़ागॉव मीरपुर में तालाब से साधु कश्यप के मकान तक, खिरिया मुख्य मार्ग से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	40.49	20.25	20.24
4	विकास खण्ड खुदागंज के ग्रा0 पं0 अलियापुर प्राथमिक विद्यालयसे पूर्व प्रधान गंगा विष्णु के घर तक, परमेश्वरी दयाल के मकानसे राममजन के नल तक, नेत्रपाल की बैठक से मुख्य सम्पर्क मार्ग तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	18.09	9.05	9.04
5	विकास खण्ड तिलहर के ग्रा0पं0 पलिया पटटी में रामबहादुर के मकान से ब्रजेश कुमार पुत्र श्री इतवारी लाल के मकान होते हुये नहर तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	22.30	11.15	11.15
6	विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम खण्डहर में जलालाबाद खण्डहर मुख्य मार्ग से पुलिस चौकी खण्डहर के सामने से होते हुये कटेली सम्पर्क मार्ग तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	56.32	28.16	28.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

q7	विकास खण्ड खुटार के ग्राम रौतापुर कला में शिव सिंह के मकान से मालती पत्नी स्व0 नंदलाल के मकान तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	18.02	9.00	9.02
8	विकास खण्ड कटरा खुदागंज के ग्रा0 पं0 सैजना में ओमकार मौर्य के मकान से सजना-वीरमपुर की सीमा तक इन्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण।	47.45	23.73	23.72
	योग-	**292.58**	**146.29**	**146.29**

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 146.29 लाख (रूपये एक करोड़ छियालीस लाख उनतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

संख्या-155(1)/2024/390/35-4-2024/35-4099/85/2024 / तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०।
9- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहांपुर ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शाहजहांपुर ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।